

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक: जीवि/परीक्षा-2/गोप 0/2015/3039

दिनांक : 05.05.2015

// अधिसूचना //

बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०कॉम, बी.बी.ए., एम.कॉम, प्रथम सेमेस्टर एम.
बी.ए., बी.ए.एलएल.बी., प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर, एम.एस.सी, तृतीय
सेमेस्टर एवं बी.एस.सी प्रथम (ए.टी.के.टी.), एम.सी.ए. तृतीय/पंचम सेमेस्टर
एवं एल०एल०बी०(3YDC) प्रथम/तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर
2014 के समर्त ऐसे छात्र जिनके UFM प्रकरण निम्न कक्षाओं में बने हैं।
तथा जिनका परीक्षा परिणाम अनुचित साधन प्रयोग (UFM) के कारण रोका गया
था, के निराकरण हेतु अनुचित साधन प्रकरण निर्णायिक समिति की बैठक दिनांक
07.05.2015 (गुरुवार) को दोपहर 12:30 बजे स्वर्ण जयन्ती न्यू परीक्षा
भवन जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में आयोजित की गई है।

छात्र से सम्बंधित महाविद्यालयों को भी यह सूचित किया जाता है कि वे
अपने महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर इस अधिसूचना को चर्चा कर छात्रों को
सूचित करें। कि अनुचित साधन निर्णायिक समिति के समक्ष छात्र का उपस्थित
होना आवश्यक है।



परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि:-

- 1- कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- 2- कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- 3- इंचार्ज-स्ट्रांगरूम, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।



उप-कुलसचिव (परीक्षा)